



2026:AHC:66276

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 12276 वर्ष 2026

बृजेश कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

संजीव कुमार यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 17.09.2024 और संज्ञान/सम्मन आदेश दिनांक 30.05.2025 के साथ-साथ मुकदमा अपराध संख्या 365/2024 अंतर्गत धारा 281, 106 भारतीय न्याय संहिता, थाना खैर, जिला अलीगढ़ से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 976/2025 (राज्य बनाम बृजेश कुमार), जो विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, खैर, अलीगढ़ के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को विपक्षी संख्या 2 द्वारा वर्तमान मामले में केवल परेशान करने के उद्देश्य से गलत तरीके से फँसाया गया है, क्योंकि उसके द्वारा कोई अपराध, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कभी किया ही नहीं गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि कथित दुर्घटना कार चालक की लापरवाही के कारण हुई थी, न कि आवेदक के कारण, और इस नाते दुर्घटना के लिए कार चालक ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध ऐसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो उसे कथित घटना से जोड़ सके। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि निष्पक्ष विवेचना किए बिना ही संबंधित विवेचना अधिकारी ने आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दिया, जिस पर संबंधित विद्वान न्यायालय ने बिना अपना न्यायिक विवेक प्रयोग किए उक्त आरोप-पत्र पर अपराध का संज्ञान ले लिया, जो कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस प्रकार इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करते हुए आवेदन में की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया कि आवेदक की ओर से उठाए जा रहे तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, और इनमें साक्ष्यों के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। यह तर्क दिया गया कि संज्ञान लेते समय केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए और संबंधित न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह एक लघु विचारण आयोजित करे।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के बाद, इस न्यायालय की यह राय है कि संज्ञान लेने/सम्मन जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को केवल रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर एक प्रथम दृष्टया राय दर्ज करने की आवश्यकता होती है, और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह एक लघु विचारण आयोजित करे या अभियुक्त के बचाव का परीक्षण करे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.डब्ल्यू. पलानीतकर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य; (2002) 1 एससीसी 241 के मामले में दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि जिस परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" मौजूद है, न कि यह कि क्या "दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार" है। नूपुर तलवार बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य; (2012) 11 एससीसी 465 के मामले में यह दोहराया गया था कि प्रक्रिया जारी करने के चरण में सामग्री पर विचार करने का सीमित उद्देश्य अनंतिम होता है, जो विचारण के दौरान प्रस्तुत वास्तविक साक्ष्य से भिन्न है; इस चरण में लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी गई सामग्री "अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त" है, न कि "दोष सिद्ध करने और स्थापित करने के लिए पर्याप्त" है। संज्ञान लेने के चरण में, न्यायालय का प्राथमिक ध्यान यह निर्धारित करना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसका अर्थ है कि क्या यह संकेत देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि कोई अपराध किया गया है, न कि मामले के गुण-दोष या साक्ष्यों की गहराई में जाना।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त विधिक स्थिति पर इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय में भी विचार किया गया है, जो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या 3254/2024 (कैलाश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में 6.5.2024 को पारित निर्णय में दिया गया है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए विवरण, आरोप-पत्र, विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयानों के रूप में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन और मामले के तथ्यों को देखने से, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्न से संबंधित हैं, जिनका निर्णय इस न्यायालय द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त कारणों के आधार पर, वर्तमान आवेदन गुण-दोष रहित है और, अतः, इसे खारिज किया जाता है।

28 मार्च, 2026

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)